

डिगरी व मुकदमे इब्दाई

(ऑर्डर 21, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओरिया
बड़जलास रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बिड़धाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट निवासी मांडियाई खुर्द तहसील तिवरी जिला-जोधपुर।		1. ताजाराम पुत्र मूलाराम 2. मगाराम पुत्र मूलाराम 3. मगनी बेवा लाराम 4. नाथाराम पुत्र नेनाराम 5. मुल्तानराम पुत्र नेनाराम 6. चुनाराम पुत्र नेनाराम 7. अचलाराम पुत्र नेनाराम 8. मोहनराम पुत्र नेनाराम समस्त जातियान जाट निवासीगण मांडियाई खुर्द तहसील तिवरी जिला जोधपुर। 9. तहसीलदार तिवरी।


वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान कातशकारी अधिनियम

वाद संख्या:- 68/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-व-रू हमारे व हाजरी बहाजरी श्री नैनूराम विश्नोई एडवोकेट मिनजानिव मुददई, प्रतिवादीगण की ओर से श्री रामकिशोर औझा एडवोकेट, मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि खसरा नम्बर 97 रकबा 122 बीघा 02 बिस्वा मौजा ग्राम माण्डियाई खुर्द, तहसील तिवरी, जिला बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार तिवरी से तलब किया गया तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं। बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की भूमि विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन की जाकर अलग किये जाने के बाबत अंतिम डिगरी जारी की जाती है:-

क्र.सं.	खातेदार	ख.न.	रकबा
1	बिड़धाराम पुत्र भीकाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा तिवरी	97	80-14
2	ताजाराम मगाराम पि. मूलाराम मगनी बेवा मूलाराम नाथाराम मुलतानराम चुनाराम अचलाराम मोहनराम पि. नेनाराम जाति जाट सा. देह खातेदार रहन चुनाराम का हिस्सा एसबीआई शाखा जेलू गगाड़ी	97/1	40-07
3	शेष खाता जमाबन्दी अनुसार बदस्तूर (रास्ता हेतु)	97/2	01-01

बंटवाड़ा प्रस्ताव अंतिम डिगरी का भाग रहेगा। इसी अनुसार तहसीलदार तिवरी राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये नजरी नक्शे अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे।


सहायक कलेक्टर, तिवरी

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस
मुकदमे के मय सूद व शहर..... फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलगाबी तक..... को अदा करें।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख... 26/12/2020 को जारी की गई।


सहायक कलेक्टर, भोजिया
सहायक कलेक्टर, भोजिया

मोहर

मुद्दाई	रुपया	पै.	मुदायलार	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मतफरकत		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।


सहायक कलेक्टर, भोजिया
सहायक कलेक्टर, भोजिया